PBR/निग/भोपाल/भू-रा/2017/1564

(20)

समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प, भोपाल

निगरानी प्रकरण क्र...../17

मुलिया बाई आयु-80वर्ष
विधवा स्व. श्री जुगलकिशोर
गिरधारीलाल आयु-57वर्ष
आत्मज.स्व.श्री जुगल किशोर
3 अशोक कुमार आयु-42वर्ष
आत्मज.स्व.श्री जुगल किशोर
4 राजमल आयु-25वर्ष
आत्मज.स्व.श्री जुगल किशोर
5 श्रीमती सरजु बाई आयु-48वर्ष
पुत्री.स्व.श्री जुगल किशोर
सभी निवासीगण-ग्राम मालीखेड़ी,
तहसील हुजूर जिला भोपाल .... **आवेदकगण**

विरूद्ध

थाना प्रभारी .... **अनावेदक**
थाना छोला मंदिर भोपाल

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व सहिंता 1959

विद्वान कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा प्रकरण क्र.12/अपील/16-17 में पारित आदेश दि.15.05.17 से दुखित एवं अंसतुष्ट होकर आवेदकगण उपरोक्त निगरानी निम्न लिखित तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत करते है कि:-

1. यह कि संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है की आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी गोविन्दपुरा वृत्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.17 के विरूद्ध कलेक्टर जिला भोपाल के समक्ष अविलंब दिनांक 28.03.17 को प्रथम अपील प्रेषित की है और उक्त अपील के साथ धारा 52 भूराजस्व सहिंता का आवेदन पत्र उक्त आदेश दिनांक 21.03.17 के क्रियान्वन को अपील के अंतिम [illegible] विद्वान कलेक्टर जिला

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी RBR/निग./अपील/रा.रा./2017/1564 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–6–2017	आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–5–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 52 का आवेदन निरस्त किया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत हो चुका है, इसलिये स्थगन दिये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है और वैसे भी प्रकरण में स्थगन देना अथवा नहीं देना प्रकरण की स्थिति व पीठासीन अधिकारी के स्वविवेक पर निर्भर होता है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	